बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संचिका सं0–5/अ0प्र0–01–01/2022 2926 पटना, दिनांक– 27/4/22

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0–02/2017) के आधार पर पत्रांक 30 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गयी सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 32 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को आवंटित सूची के आलोक में कुल 250 अनुशंसित अभ्यर्थियों में से अवशेष 08 अभ्यर्थियों का दिनांक 07.02.2022 को शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों की जाँच की गयी, जिसमें उपस्थित मात्र एक अभ्यर्थी को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–2 में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान 53,100–1,67,800/–वेतन स्तर–9 में एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ–11 में उल्लेखित स्थान पर अगले आदेश पर पदस्थापित किया जाता है:–

अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार का पता	अभ्यर्थी का मूल कोटि	आवंटित आरक्षण रोस्टर कोटि	पदस्थापित स्थान का नाम	फोटो
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
सुश्री माही सिंह	216504	2688	16.04.1992	श्री दीप नारायण सिंह	ग्राम–मोहिउद्दीनपुर, पो0–बराह, थाना–पुनपुन थाना, जिला–पटना, पिनकोड–804453	पाटलीग्राम अपार्टमेंट, ब्लॉक–एच, 303, बजरंगपुरी, पो0–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना, पिनकोड–800007	पि0व0	पि0व0म0	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, कोईलवर, कार्य प्रमंडल, आरा	

2\. (i) इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार/पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(ii) यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है जिसके लिए उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) पूर्व वृत सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकुल रहने पर अस्थायी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।

(iv) मूल प्रमाण–पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

(v) ग्रामीण कार्य विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान/पदग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(vi) उपरोक्त नव नियुक्त सहायक अभियंता के द्वारा दहेज नहीं लेने–देने संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया गया है, तो उन्हें योगदान के समय प्रश्नगत प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।

(vii) उक्त नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमन आदेश/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(viii) आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर उक्त नवनियुक्त सहायक अभियंता के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

27/4/2022

(ix) यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/4/2022

(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–01/2022 2927 पटना, दिनांक– 27/4/22

प्रतिलिपि–दो अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–01/2022 2927 पटना, दिनांक– 27/4/22

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशार्थ हेतु अग्रसारित।

27/4/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–01/2022 2927 पटना, दिनांक– 27/4/22

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/निदेशक, परीक्षण शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–30 दिनांक 25.08.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–01/2022 2927 पटना, दिनांक– 27/4/22

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री माही सिंह, नवनियुक्त सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/2022

सरकार के विशेष सचिव